

बिहार सरकार  
नगर विकास एवं आवास विभाग  
अधिसूचना

बिहार राज्य फुटपाथ विक्रेता (जीविका संरक्षण एवं फुटपाथ विक्रय विनियमन)  
नियमावली, 2017

सं० संख्या- 04/SV(NULM)-04/2015 413 /न०वि०एवंआ०वि०, बिहार फुटपाथ विक्रेता (जीविका संरक्षण एवं फुटपाथ विक्रय विनियमन) अधिनियम, 2014 (केन्द्रीय अधिनियम 7/2014) की धारा 36 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त अधिनियम के उपबंधों के क्रियान्वयन हेतु बिहार सरकार एतद् द्वारा निम्नलिखित नियमावली बनाती है:-

अध्याय-I  
प्रारंभिक

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं आरंभ।- (1) यह नियमावली बिहार राज्य के लिए बिहार राज्य फुटपाथ विक्रेता (जीविका संरक्षण एवं फुटपाथ विक्रय विनियमन) नियमावली, 2017 कही जा सकेगी।
  - (2) इसका विस्तार संपूर्ण बिहार राज्य में होगा।
  - (3) यह तुरंत प्रवृत्त होगी।
2. परिभाषा।-इस नियमावली में जब तक कि विषय या संदर्भ में कोई बात प्रतिकूल न हो:-
  - (क) "अधिनियम" से अभिप्रेत है फुटपाथ विक्रेता (जीविका संरक्षण एवं फुटपाथ विक्रय विनियमन) अधिनियम, 2014;
  - (ख) "उपयुक्त सरकार" से अभिप्रेत है अधिनियम की धारा 2 की उपधारा (1) के अधीन यथानिर्दिष्ट राज्य सरकार से संबंधित मामलों की बाबत राज्य सरकार;
  - (ग) "धारण क्षमता" से अभिप्रेत है फुटपाथ विक्रेताओं की अधिकतम संख्या, जिसे किसी फुटपाथ विक्रय-प्रक्षेत्र में समायोजित किया जा सकता हो और जिसे अधिनियम की उपधारा 2(1)(ख) के अधीन यथानिर्दिष्ट शहरी फुटपाथ विक्रय समिति की अनुशंसाओं पर स्थानीय प्राधिकार द्वारा अवधारित किया गया हो;
  - (घ) "स्थानीय प्राधिकारी" से, यथास्थिति, कोई नगर निगम या कोई नगरपालिका परिषद् या नगर पंचायत, चाहे वह किसी भी नाम से ज्ञात हो या छावनी बोर्ड अथवा छावनी अधिनियम, 2006 की धारा 47 के अधीन नियुक्त कोई सिविल क्षेत्र समिति या ऐसा अन्य निकाय अभिप्रेत है जो नागरिक सेवायें उपलब्ध कराने और पथ विक्रय को विनियमित करने के लिये किसी नगर या शहर में स्थानीय प्राधिकारी के रूप में कार्य करने के लिये हकदार हो और इसके अन्तर्गत ऐसा "योजना प्राधिकार" भी है जो उस नगर या शहर में भूमि के उपयोग को विनियमित करता हो।
  - (ङ) "चलंत फुटपाथ विक्रेता" से अभिप्रेत है ऐसे फुटपाथ विक्रेता, जो अधिनियम की धारा 2 की उपधारा (2)(1)(घ) के अधीन यथानिर्दिष्ट अभिहित क्षेत्र में एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमते हुए विक्रय क्रिया-कलाप करते हों;
  - (च) "स्थायी फुटपाथ विक्रेता" से अभिप्रेत है ऐसे फुटपाथ विक्रेता, जो अधिनियम की उपधारा 2(1)(ट) के अधीन यथानिर्दिष्ट किसी विशिष्ट स्थान में नियमित रूप से विक्रय क्रिया-कलाप करते हों;

- (छ) "प्राकृतिक बाजार" से अभिप्रेत है ऐसा बाजार, जहाँ विक्रेता और क्रेता उत्पादों के विक्रय और क्रय या पैसे पर आधारित सेवाएँ देने के लिए परंपरागत रूप से एकत्रित होते हैं और जिसे अधिनियम की उपधारा 2(1)(ड) के अधीन यथानिर्दिष्ट शहरी फुटपाथ विक्रय समिति की अनुशंसाओं पर स्थानीय प्राधिकार द्वारा अवधारित किया गया हो;
- (ज) "अधिसूचना" से अभिप्रेत है, अधिनियम की धारा 2 की उपधारा (2)(1)(ब) के अधीन यथानिर्दिष्ट राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना;
- (झ) "योजना प्राधिकार" से अभिप्रेत है, अधिनियम की धारा 2 की उपधारा 2(1)(छ) के अधीन यथानिर्दिष्ट किसी नगर या शहर में नगरपालिका या कोई नगर विकास प्राधिकार या कोई अन्य प्राधिकार;
- (ञ) "स्कीम" से अभिप्रेत है, अधिनियम की धारा 38 के अधीन उपर्युक्त सरकार द्वारा बनाया गया स्कीम;
- (ट) "फुटपाथ विक्रेता" से अभिप्रेत है अधिनियम की धारा 2 की उपधारा 2(1)(ठ) के अधीन यथानिर्दिष्ट फुटपाथ विक्रय में लगा हुआ कोई व्यक्ति;
- (ठ) "अनुसूची" से अभिप्रेत है इस नियमावली से संलग्न अनुसूची;
- (ड) "धारा" से अभिप्रेत है इस अधिनियम की धारा;
- (ढ) "शहरी फुटपाथ विक्रय समिति" से अभिप्रेत है अधिनियम की धारा 22 के अधीन उपर्युक्त सरकार द्वारा गठित निकाय;
- (ण) "फुटपाथ विक्रय प्रक्षेत्र" से अभिप्रेत है ऐसा क्षेत्र या जगह या स्थान, जो अधिनियम की धारा 2 की उपधारा 2(1)(ड) के अधीन यथानिर्दिष्ट योजना प्राधिकार द्वारा अभिहित किया गया हो।

## अध्याय II

### शहरी फुटपाथ विक्रय समिति

3. शहरी फुटपाथ विक्रय समिति की अवधि और उसके गठन की रीति । - (1) फुटपाथ विक्रेता (जीविका संरक्षण एवं फुटपाथ विक्रय विनियमन) अधिनियम, 2014 (केन्द्रीय अधिनियम 7/2014) की धारा 22 की उपधारा (1) अधीन यथानिर्दिष्ट प्रत्येक स्थानीय प्राधिकार एक शहरी फुटपाथ विक्रय समिति गठित करेगी। अधिनियम की धारा 22 की उपधारा (1) के अधीन यथानिर्दिष्ट, यदि आवश्यकता हो तो, एक से ज्यादा या प्रत्येक वार्ड के लिए शहरी फुटपाथ विक्रय समिति का गठन किया जा सकता है। उक्त अधिनियम की धारा 22 की उपधारा (2) के अधीन यथानिर्दिष्ट नगरपालिका आयुक्त या कार्यपालक पदाधिकारी, यथास्थिति, शहरी फुटपाथ विक्रय समिति के अध्यक्ष होंगे। शहरी फुटपाथ विक्रय समिति के निम्नलिखित सदस्य होंगे-
- (क) नगरपालिका आयुक्त या कार्यपालक पदाधिकारी (वे शहरी फुटपाथ विक्रय समिति के अध्यक्ष होंगे);
  - (ख) नगर प्रबंधक/राजस्व पदाधिकारी ( इन दोनों की अनुपस्थिति में, नगर विक्रय समिति के अध्यक्ष द्वारा मनोनित नगर निकाय के अधिकारी) शहरी फुटपाथ विक्रय समिति के सदस्य सचिव होंगे।
  - (ग) असैनिक शल्य चिकित्सक/चिकित्सा पदाधिकारी;
  - (घ) जिला योजना पदाधिकारी/नगरपालिका अभियंता;
  - (ङ) आरक्षी अधीक्षक/अन्य चयनित पदाधिकारी;
  - (च) आरक्षी अधीक्षक, यातायात;
  - (छ) अग्रणी बैंक प्रबंधक/प्रतिनिधिगण;

- (ज) चैम्बर ऑफ कॉमर्स (प्रतिनिधिगण);
- (झ) राष्ट्रीय अनौपचारिक मजदूर संघ;
- (ञ) गैर सरकारी संगठन/ समुदाय आधारित संगठन;
- (ट) फुटपाथ विक्रय संगठनों/संगमों/परिसंघों के प्रतिनिधिगण;

- (2) गैर सरकारी संगठनों/समुदाय आधारित संगठनों के प्रतिनिधियों की संख्या समिति के सदस्यों की कुल संख्या के 10% से कम नहीं होगी
  - (3) फुटपाथ विक्रेताओं के प्रतिनिधियों की संख्या समिति के सदस्यों की कुल संख्या के 40% से कम नहीं होगी।
  - (4) फुटपाथ विक्रेताओं के एक तिहाई प्रतिनिधि महिला फुटपाथ विक्रेता होंगी।
  - (5) गैर सरकारी संगठनों/समुदाय आधारित संगठनों और राज्य फुटपाथ विक्रय संगठनों/संघों/परिसंघों के प्रतिनिधिगण जिला मजिस्ट्रेट द्वारा निर्वाचित किए जाएंगे।
  - (6) निर्वाचित सदस्यों की सामान्य पदावधि तीन वर्षों की होगी।
  - (7) शहरी फुटपाथ विक्रय समिति की अवधि 3 वर्षों की होगी।
4. **फुटपाथ विक्रेताओं के बीच निर्वाचन की रीति** — (1) अधिनियम की धारा 22 की उपधारा (2) के खंड (ख) के अधीन फुटपाथ विक्रेताओं के प्रतिनिधियों का निर्वाचन, नगरपालिका आयुक्त/कार्यपालक पदाधिकारी के परामर्श से, जिला मजिस्ट्रेट कार्यालय द्वारा किया जाएगा। शहरी फुटपाथ विक्रय समिति के इन सदस्यों की निर्वाचन प्रक्रिया निम्नवत होगी:—
- (क) स्थानीय प्राधिकार उपयुक्त अर्थार्थियों से अन्य सदस्यों की प्रत्येक कोटि की पात्रता, आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि एवं आवेदन जमा करने की रीति के ब्यौरा के साथ विहित फारमेट में आवेदन आमंत्रित करेगा।
  - (ख) पूर्वोक्त नोटिस शहरी फुटपाथ विक्रय समिति की सदस्यता हेतु आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि से 30 दिन पहले प्रकाशित किया जाएगा।
  - (ग) प्रत्येक कोटि में सदस्यता हेतु प्राप्त आवेदनों की, पूर्व परिभाषित पात्रता मानदंड के आधार पर, एक संक्षिप्त सूची बनाई जाएगी।
  - (घ) यदि कोटि विशेष हेतु प्राप्त आवेदन अपेक्षित संख्या से अधिक हो, तो जिला मजिस्ट्रेट और शहरी फुटपाथ विक्रय समिति के अध्यक्ष, लॉटरी के आधार पर, सदस्य का चयन करेंगे। ऐसी लॉटरी अभिरुचि रखने वाले पक्षकारों की उपस्थिति में होगी।
  - (ङ) निर्वाचित सदस्यों सहित शहरी फुटपाथ विक्रय समिति का निर्माण उपयुक्त सरकार द्वारा राजपत्र में प्रकाशित किया जाएगा।
  - (च) शहरी फुटपाथ विक्रय समिति का ब्यौरा उपयुक्त सरकार के वेबसाइट पर प्रकाशित किया जाएगा।
- (2). पुनर्निर्वाचन में कोई रूकावट नहीं है। दो क्रमिक सदस्यों के पश्चात् पदासीन सदस्य का परिवर्तन वांछनीय होगा, फिर भी वह अपने पद पर बना रह सकता/सकती है, यदि कोई

नया विज्ञापन न दिखता हो और आगे पदासीन अभ्यर्थी को अपने पद पर बने रहने में कोई आपत्ति नहीं हो। किसी नए अभ्यर्थी की कोई प्रतिक्रिया प्राप्त न हो और विद्यमान सदस्य के अपने पद पर बने रहने की अनिच्छा भी सामने न आने की दशा में उपयुक्त सरकार विद्यमान पदधारियों द्वारा प्रतिनिधित्व किए गए समूह के उपयुक्त अभ्यर्थी को नामित कर सकती है।

परंतु यह और कि पथ विक्रेताओं के औपचारिक/अनौपचारिक संगठनों/संघों का प्रतिनिधित्व कर रहे सदस्यों का नामनिर्देशन सरकार द्वारा ऐसे मानदंड के आधार पर जो अधिकथित किया जाय, कम से कम दो स्थानीय समाचार पत्रों में उसे प्रकाशित या किसी अन्य रीति में विज्ञापित करने के पश्चात् आवेदन आमंत्रित किये जायेंगे।

- 4.1. नगर विक्रय समिति के सदस्य का पद से हटाया जाना।—** (1.) नगर विक्रय समिति के किसी सदस्य को सरकार द्वारा पद से हटाया जा सकेगा, यदि वह,—
- (क) अधिनियम और इन नियमों के अधीन उसपर अधिरोपित कर्तव्यों का निर्वहन करने में लगातार व्यतिक्रम करता है या अपनी शक्तियों से परे कार्य करता है या उनका दुरुपयोग करता है,
  - (ख) अध्यक्ष की अनुज्ञा के बिना समिति की तीन लगातार बैठकों में अनुपस्थित रहता है,
  - (ग) किसी विधि के न्यायालय द्वारा किसी दांडिक मामले में दोषसिद्ध हो:

परंतु ऐसे सदस्य को उसको हटाये जाने से पूर्व सुने जाने का युक्तियुक्त अवसर प्रदान किया जायेगा।

5. अधिनियम को धारा 22 की उपधारा (3) के अधीन अध्यक्ष एवं सदस्यों के भत्ते।— विक्रय समिति के ऐसे सदस्य जिन्होंने कार्यालय में लाभ का पद नहीं लिया है, वे नगर विक्रय समिति की प्रत्येक बैठक में भाग लेने के लिये समय-समय पर संबंधित नगर विक्रय समिति द्वारा नियत भत्ते प्राप्त करेंगे।
6. बैठक का समय और स्थान, बैठक में कारबार के संव्यवहार की प्रक्रिया और शहरी फुटपाथ विक्रय समिति द्वारा निर्वहित किए जानेवाले कृत्य।— शहरी फुटपाथ विक्रय समिति अपने कारबार के संचालन से संबंधित विभिन्न प्रक्रियागत बिंदुओं को विनिश्चित करेगी, जिसका ब्यौरा यहाँ इसके बाद फुटपाथ विक्रेता (जीविका संरक्षण और फुटपाथ विक्रय विनियमन) अधिनियम, 2014 की धारा 23 के अधीन सूचीबद्ध है:—
- (1) बैठक की तिथि, समय और स्थान शहरी फुटपाथ विक्रय समिति के अध्यक्ष द्वारा विनिश्चित किए जाएंगे;

- (2) बैठक की नोटिस, ऐसी बैठक के लिए निर्धारित समय से कम-से-कम सात दिन पहले, समिति के प्रत्येक सदस्य को उनके द्वारा दिए गए पता पर रजिस्ट्रीकृत डाक से भेजा जाएगा। बैठक की नोटिस में बैठक का स्थान, तिथि और समय दिया रहेगा और कारबार की सूची बैठक में संव्यवहारित की जाएगी;
- (3) अध्यक्ष अनुसूचित बैठक के 7 दिन पहले नोटिस निर्गत करेंगे; मनों की कार्यसूची प्रत्येक सदस्यों को परिचालित की जाएगी और सरकारी अभिहित वेबसाईट पर भी यह कार्यसूची डाली जाएगी। प्रत्येक कार्यसूची मद प्रशासन द्वारा स्पष्ट अनुशंसा सहित अंतर्भावित मुद्दों को स्पष्ट करने वाले सुविस्तृत टिप्पण द्वारा भी साथ लगाया जाएगा। टिप्पणों सहित कार्यसूची दस्तावेज हिन्दी या अंग्रेजी में होने चाहिए, यदि शहरी फुटपाथ विक्रय समिति विनिश्चित करती हो;
- (4) समिति की बैठक प्रत्येक 3 महीने में कम-से-कम एक बार बुलाई जाएगी;
- (5) शहरी फुटपाथ विक्रय समिति के कुल सदस्यों के न्यूनतम एक तिहाई सदस्यों के अनुरोध पर विशेष मुद्दे के लिए अध्यक्ष बैठक केवल अध्यक्ष द्वारा बुलाई जाएगी। सदस्यों की अपेक्षित संख्या से उस हेतु अनुरोध प्राप्त होने के 15 दिनों के भीतर बैठक बुलाई जाएगी।
- (6) राजपत्र अधिसूचना के प्रकाशन के 15 दिनों के भीतर शहरी फुटपाथ विक्रय समिति की पहली बैठक नियत की जाएगी ;
- (7) बैठक में उपस्थित सदस्यों के बहुमत के आधार पर विनिश्चय किया जाएगा। मतों की बराबरी की स्थिति में, अध्यक्ष को मतदान करने का अधिकार होगा;
- (8) सदस्य-सचिव प्रत्येक बैठक के अभिलेखन एवं कार्यवाहियों के लिए एक कार्यवृत्त-पुस्तक का संधारण करेंगे और इसे अपनी सुरक्षित अभिरक्षा में रखेंगे। बैठक प्रारंभ होने से पहले इसमें उपस्थित होनेवाले सदस्यों के हस्ताक्षर कार्यवृत्त-पुस्तक में अभिलिखित होंगे और प्रत्येक बैठक में कार्यवाहियों का समुचित अभिलेखन एवं अपनाए गए संकल्पों को कार्यवृत्त-पुस्तक में संधारित किया जाएगा। कार्यवृत्त-पुस्तक को शहरी फुटपाथ विक्रय समिति की उत्तरवर्ती बैठक में अध्यक्ष की संपुष्टि हेतु उपस्थापित किया जाएगा;
- (9) गणपूर्ति – बैठक के लिए गणपूर्ति शहरी फुटपाथ विक्रय समिति के कुल सदस्यों के कम-से-कम एक-तिहाई सदस्यों से होगी। गणपूर्ति के अभाव में बैठक की कार्यवाही नहीं होगी और इसे स्थगित कर दिया जाएगा;
- (10) शहरी फुटपाथ विक्रय समिति की बैठक में निम्नलिखित कृत्यों के निर्वहन किए जाएँगे :-
  - (i) स्थानीय प्राधिकार द्वारा सविस्तार प्रस्तुत किए गए धारण-क्षमता सहित फुटपाथ विक्रय प्रक्षेत्रों के बारे में अंतिम विनिश्चय ;
  - (ii) फुटपाथ विक्रय प्रमाण-पत्र निर्गत किया जाना, रोक रखा जाना, निलंबित किया जाना और रद्द किया जाना;

- (iii) अधिनियम के कार्यान्वयन पर पहल किए गए सामाजिक संपरीक्षा प्राप्त करना
- (iv) प्रक्षेत्रीकरण पर विनिश्चयकरण हेतु, शहरी फुटपाथ विक्रय समिति को स्थानीय प्राधिकार से आधारभूत सामग्री/डाटा प्राप्त होगा। विनियमावली और योजना फुटपाथ विक्रय प्रक्षेत्रों को चिह्नित करेगी। शहरी फुटपाथ विक्रय समिति को प्रत्येक व्यक्तिगत फुटपाथ विक्रेता को आवंटित किए जानेवाले प्रक्षेत्र या क्षेत्र के बारे में किसी प्रकार की कोई जानकारी उपलब्ध होने की दशा में यह योजना के समुचित रूप से उपांतरण हेतु योजना एवं स्थानीय प्राधिकार का ध्यानाकृष्ट कर सकेगी। प्राधिकार की राय प्राप्त करने के पश्चात्, शहरी फुटपाथ विक्रय समिति समुचित विनिश्चय कर सकेगी;
- (v) स्थानीय प्राधिकार की अनुशांसा पर, शहरी फुटपाथ विक्रय समिति सहज बाजार, साप्ताहिक बाजार, विरासती बाजार, त्योहारी बाजार, मौसमी बाजार, रात्रि बाजार और ताख बाजार, उनके सही अवस्थान के साथ और मौसमी बाजार या त्योहारी बाजार की स्थिति में, विशिष्ट अवधि की घोषणा करेगी;
- (vi) फुटपाथ विक्रय प्रक्षेत्रों के बारे में अनुशांसाएँ और परिवर्तनों का सुझाव देते वक्त, शहरी फुटपाथ विक्रय समिति संबंधित क्षेत्र में सड़क की चौड़ाई, यातायात की स्थिति और पैदल यात्रियों के आवागमन को ध्यान में रखेगी।
7. रीति और प्रयोजन जिसके लिए कोई व्यक्ति शहरी फुटपाथ विक्रय समिति के साथ संबद्ध किया जा सकेगा।— अधिनियम की धारा 24 की उपधारा (1) के अधीन, शहरी फुटपाथ विक्रय समिति फुटपाथ विक्रय और स्थानिक योजना के लिए अनौपचारिक अर्थ व्यवस्था के क्षेत्र में किसी विशेषज्ञ को संबद्ध कर सकता है। ऐसे विशेषज्ञ को सुझाव के लिए किसी बैठक में भाग लेने का अधिकार तो होगा, लेकिन वह बैठक में मतदान नहीं कर सकता है।
8. संबद्ध व्यक्ति के भत्ते। — अधिनियम की धारा 24 की उपधारा (2) के अधीन संबद्ध व्यक्तियों को शहरी फुटपाथ विक्रय समिति के अध्यक्ष द्वारा यथाविनिश्चित भत्तों का भुगतान किया जाएगा।
9. शहरी फुटपाथ विक्रय समिति के कर्मचारी। — शहरी फुटपाथ विक्रय समिति को अपना स्थायी कार्यालय स्थानीय प्राधिकार द्वारा आवंटित जगह में होगा। स्थानीय प्राधिकार शहरी फुटपाथ विक्रय समिति के अनुरोध पर पर्याप्त स्टाफ उपलब्ध करायेंगे, लेकिन ये स्टाफ शहरी फुटपाथ विक्रय समिति के स्टाफ नहीं होंगे।
10. सभी फुटपाथ विक्रेताओं के अद्यतन अभिलेख का संधारण। — अधिनियम की धारा 26 की उपधारा (2) के अधीन, शहरी फुटपाथ विक्रय समिति कुल फुटपाथ विक्रेताओं का के.टिवार, रजिस्ट्रीकृत विक्रेताओं, निर्गत पहचान-पत्र, शुल्कों, कोई अन्य प्रभारों, बकायों एवं वसूली, उपगत व्यय के ब्यौरा से संबंधित समुचित अभिलेखों का संधारण करेगी। अन्य सुसंगत अभिलेख भी शहरी फुटपाथ विक्रय समिति द्वारा संधारित किए जाएंगे।

### अध्याय III

#### विवाद निवारण क्रियाविधि

11. नगरपालिका/स्थानीय प्राधिकार में अपील दायर करने की अवधि और रीति।—  
फुटपाथ विक्रेता (जीविका संरक्षण एवं फुटपाथ विक्रय विनियमन) अधिनियम, 2014 की धारा 11 की उपधारा (1), फुटपाथ विक्रय प्रमाण-पत्र के निर्गत या उस प्रमाण-पत्र के निलम्बन या रद्द किए जाने की बाबत शहरी फुटपाथ विक्रय समिति के किसी विनिश्चय से कोई व्यथित आवेदक शहरी फुटपाथ विक्रय समिति के उस विनिश्चय के एक महीने के अंतर्गत नगरपालिका आयुक्त/संबंधित स्थानीय प्राधिकार के कार्यपालक पदाधिकारी को विहित फारमेंट (प्रपत्र-क) में अपील दायर करेगा। नगरपालिका आयुक्त/कार्यपालिका पदाधिकारी उस आवेदक को व्यक्तिगत सुनवाई ( अधिनियम की धारा 11 (1) ) का अवसर देने के पश्चात् आवेदक के अभ्यावेदन पर आख्यापक आदेश के साथ अस्वीकृत या स्वीकृत करते हुए आवेदन की तिथि से एकमाह के भीतर उसके अपील का निपटारा करेगा।
12. उपयुक्त सरकार द्वारा विवाद निवारण हेतु समिति का गठन। — अधिनियम की धारा 20 की उपधारा (1) के अधीन, एक या एक से अधिक शिकायत निवारण समिति विवाद के समाधान के लिए सरकार द्वारा गठित की जाएगी। राज्य में शिकायत निवारण समितियाँ निम्नलिखित रीति से मौजूद होंगी :-
- (i) उपयुक्त सरकार सेवानिवृत्त सिविल न्यायाधीश या सेवानिवृत्त न्यायिक मजिस्ट्रेट को शिकायत निवारण समिति के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त करेगी। उस प्रादेशिक भाग में नगर निगम का सेवानिवृत्त अपर/उप नगरपालिका आयुक्त या नगरपालिका के सेवानिवृत्त कार्यपालिका पदाधिकारी को समिति के द्वितीय सदस्य के रूप में नियुक्त किया जा सकेगा, जबकि उसी प्रादेशिक भाग में फुटपाथ विक्रय सहित अनौपचारिक अर्थ-व्यवस्था के क्षेत्र में विशेष अनुभव रखने वाले सुप्रसिद्ध सामाजिक कार्यकर्ता को समुचित सरकार द्वारा समिति के अन्य सदस्य के रूप में नियुक्त किया जा सकेगा।
- (ii) शिकायत निवारण समिति के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति सरकार द्वारा पाँच वर्ष की अवधि के लिये की जायेगी :

परंतु कोई अध्यक्ष उस रूप में 67 वर्ष की आयु प्राप्त करने के पश्चात् पदधारण नहीं करेगा।

13. आवेदन करने का प्रपत्र और उसकी रीति।— (1) प्रत्येक फुटपाथ विक्रेता, जिसको अधिनियम के अधीन किसी बात को लेकर शिकायत हो अधिनियम की धारा 11 में विनिर्दिष्ट के सिवाय, अपना नाम, आवास का पता, शिकायत के ब्यौरा सहित विहित फारमेंट (प्रपत्र ख) में स्वयं या अपने संबद्ध संघ के माध्यम से लिखित में आवेदन कर सकेगा।

- (2) शिकायत वाली किसी घटना के होने की तिथि से 30 दिनों के भीतर फुटपाथ विक्रेता द्वारा आवेदन देना होगा।
14. सत्यापन और जाँच की रीति । – शिकायत या विवाद प्राप्त होने के पश्चात् अधिनियम की धारा 20 की उपधारा (3) के अधीन विवादों के समाधान और शिकायतों के निवारण हेतु निम्नलिखित कदम उठाए जाएंगे:–
- (i) : फुटपाथ विक्रेता आवेदन के लंबित रहने के समय अंतरिम सहायता के लिए अनुरोध कर सकेगा। आवेदन की प्राप्ति पर, समिति यह अवधारित करने के लिए आवेदक की प्रारंभिक सुनवाई करेगी कि क्या यह प्रथम दृष्टया मामला बनता है;
  - (ii) प्रारंभिक सुनवाई के परिणाम को सुनवाई के निष्कर्ष के रूप में सुनाया जाएगा और लिखित रूप में अभिलिखित किया जाएगा। समिति लिखित रूप में अभिलिखित किए जानेवाले कारणों से फुटपाथ विक्रेता द्वारा प्रार्थित किसी अंतरिम सहायता को मंजूर या नामंजूर कर सकेगी;
  - (iii) पूर्वोक्त आदेश से फुटपाथ विक्रेता को संसूचित किया जाएगा और जहाँ यह लगे कि प्रथम दृष्टया मामला बनता है, शिकायत के ब्यौरों को समावेशित करते हुए एक नोटिस समुचित प्राधिकार को निर्गत किया जाएगा;
  - (iv) समुचित प्राधिकार नोटिस की प्राप्ति की तिथि से 4 सप्ताह के भीतर लिखित रूप में उत्तर देगा। उस उत्तर की प्रति उस फुटपाथ विक्रेता को भी बिना लागत के दी जायेगी;
  - (v) फुटपाथ विक्रेता लिखित रूप में उत्तर की प्राप्ति की तिथि से 2 सप्ताह की अवधि के भीतर पूर्वोक्त लिखित रूप में उत्तर पर अपना जवाब दे सकेगा;
  - (vi) समिति दोनों पक्षकारों की व्यक्तिगत सुनवाई करेगी और एक महीने के भीतर विनिश्चय के लिए कारण सहित लिखित रूप में आदेश पारित करेगी।
15. अधिनियम की धारा 20 की उपधारा (4) के अधीन समय और रीति, जिसके तहत अपील दायर किया जा सकेगा । – (1) पूर्वोक्त आदेश द्वारा व्यथित कोई व्यक्ति नगरपालिका आयुक्त/सम्बद्ध स्थानीय प्राधिकार के कार्यपालिका पदाधिकारी के समक्ष लिखित रूप में अपील दायर कर सकेगा। ऐसे अपील में व्यथित व्यक्ति के नाम, उम्र और पता, समिति द्वारा निर्गत आदेश के ब्यौरा और विहित फारमेट (प्रपत्र ग) में अपील के आधार अंतर्विष्ट होंगे। अपील के साथ आदेश की प्रति और फुटपाथ विक्रेता के फुटपाथ विक्रय प्रमाण-पत्र की प्रति, यदि निर्गत हुआ हो, संलग्न रहेगी।
- (2) कोई भी अपील समिति के आदेश की तिथि से 30 दिनों के पश्चात् दायर नहीं किया जाएगा।



16. समय और रीति, जिसके भीतर और जिस रीति से अधिनियम की धारा 20 की उपधारा (5) के अधीन अपील का निपटारा किया जाएगा— (1) अपील की प्राप्ति पर, स्थानीय प्राधिकार सुनवाई की तिथि और समय से अवगत कराते हुए सम्बद्ध पक्षकारों को नोटिस निर्गत करेगा।
- (2) पक्षकार सुनवाई के लिए, नियत किसी तिथि पर स्थानीय प्राधिकार के समक्ष हाजिर होंगे जो अपील दायर करने की तिथि से 30 दिनों के बाद की नहीं होगी।
- (3) स्थानीय प्राधिकार 30 दिनों के भीतर दोनों पक्षकारों को सुनवाई का अवसर देने के बाद अपना आदेश सुनाएगा।

#### अध्याय IV

#### प्रकीर्ण

17. अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1) के अधीन फुटपाथ विक्रय के लिए उम्र।— धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन कराए गए सर्वेक्षण में चिन्हित प्रत्येक फुटपाथ विक्रेता को जिन्होंने 14 वर्ष की आयु या उपयुक्त सरकार द्वारा यथाविहित आयु पूरी कर ली हो, ऐसी शर्तों एवं निबंधनों के अधीन एवं स्कीम में विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर तथा फुटपाथ विक्रय हेतु योजना में विनिर्दिष्ट प्रतिबंधों के अधीन शहरी फुटपाथ विक्रय समिति द्वारा फुटपाथ विक्रय प्रमाण-पत्र निर्गत किया जाएगा :
- परंतु किसी व्यक्ति को, चाहे अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन सर्वेक्षण में सम्मिलित हो या नहीं हो, जिसे इस अधिनियम के लागू होने के पहले फुटपाथ विक्रय प्रमाण-पत्र निर्गत कर दिया गया हो, चाहे उसे रजिस्ट्रेशन प्रमाण-पत्र/पहचान पत्र या अनुमति के किसी अन्य रूप में जाना जाए (चाहे स्थावर फुटपाथ विक्रेता या चलंत फुटपाथ विक्रेता या किसी अन्य कोटि के अधीन हो), उस कोटि के लिए और उस निर्गत फुटपाथ विक्रय प्रमाण-पत्र में उल्लिखित अवधि के लिए फुटपाथ विक्रेता समझा जाएगा।
18. प्रतिवेदनों एवं विवरणियों का समर्पित किया जाना।— शहरी फुटपाथ विक्रय समिति प्रतिवेदन एवं विवरणी निम्न रूप में समर्पित करेगी :-
- (क) अपने लेखा की वार्षिक विवरणी प्रत्येक वर्ष तैयार करना और नगरपालिका/स्थानीय प्राधिकार को वर्ष के मई महीने की 31 तारीख तक समर्पित करना, जिसे अनुमोदनोपरांत, सरकार के जिला एवं राज्य नोडल पदाधिकारी को भेजा जाएगा;
- (ख) अपने कृत्यों का वार्षिक प्रतिवेदन प्रत्येक वर्ष तैयार करना और नगरपालिका/स्थानीय प्राधिकार को जुलाई माह की 31 वीं तारीख तक समर्पित करना, जिसे अपनी समुक्तियों सहित, यदि कोई हो, सरकार के जिला एवं राज्य नोडल पदाधिकारी को अग्रसारित किया जाएगा;

(ग) त्रैमासिक अनुपालन प्रतिवेदन वित्तीय वर्ष के प्रत्येक तिमाही की 10 वीं तारीख तक नगरपालिका को समर्पित करना।

19. स्कीम का सारांश प्रकाशित करने की रीति। — स्कीम का सारांश निम्नलिखित रूप से प्रकाशित किया जाएगा:—

- (i) अधिनियम की धारा 38 की उपधारा (2) के अधीन स्कीम के सारांश को शहर में व्यापक परिचालन वाले कम-से-कम दो स्थानीय दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशित किया जाएगा।
- (ii) स्कीम के सारांश को नगरपालिका के कार्यालय में भी प्रमुखता से संप्रदर्शित किया जाएगा।
- (iii) प्रत्येक नगरपालिका नगर क्षेत्र में समुचित स्थानों पर दीवाल-लेखन, परचा या कोई अन्य साधन द्वारा स्कीम की प्रमुख विशिष्टताओं को सार्वजनिक करेगा।

बिहार के राज्यपाल के आदेश से।

15/2/2017

सरकार के प्रधान सचिव

नगर विकास एवं आवास विभाग।

सं० संख्या— 04/SV(NULM)—04/2015 413 /न०वि० एवं आ०वि०, पटना, दिनांक— 15/2/17

प्रतिलिपि:— अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना/अवर सचिव, वित्त विभाग ई गजट कोषांग, बिहार पटना को सी०डी० के साथ बिहार गजट के असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

2. उनसे अनुरोध है कि वे कृपया मुद्रित गजट की 200 प्रतियाँ नगर विकास एवं आवास विभाग को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।

15/2/2017

सरकार के प्रधान सचिव

नगर विकास एवं आवास विभाग।

सं० संख्या— 04/SV(NULM)—04/2015 413 /न०वि० एवं आ०वि०, पटना, दिनांक— 15/2/17

प्रतिलिपि:— मुख्य सचिव, बिहार, पटना/विकास आयुक्त/संयुक्त सचिव, आवास एवं शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली/महामहिम राज्यपाल के प्रधान सचिव/माननीय मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव/महालेखाकार, वीरचंद पटेल पथ, पटना/सभी विभागीय प्रधान सचिव/सचिव/विभागाध्यक्ष/सभी प्रमंडलीय आयुक्त,/सभी जिला पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

15/2/2017

सरकार के प्रधान सचिव

नगर विकास एवं आवास विभाग।

सं० संख्या— 04/SV(NULM)—04/2015 413 /न०वि० एवं आ०वि०, पटना, दिनांक— 15/2/17

प्रतिलिपि:— माननीय विभागीय मंत्री के आप्त सचिव/विशेष सचिव/अपर सचिव—सह-निदेशक/उप निदेशक/नगर आयुक्त सभी नगर निगम/नगर कार्यपालक पदाधिकारी, सभी नगर परिषद/नगर पंचायत/सभी प्रशाखा पदाधिकारी, नगर विकास एवं आवास विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

15/2/2017

सरकार के प्रधान सचिव

नगर विकास एवं आवास विभाग।

15/2/17

15/2/17

15/2/17

प्रपत्र-क

(नियम-11)

अधिनियम की धारा 11 के अधीन शहरी फुटपाथ विक्रय समिति के विनिश्चयन हेतु  
महापौर/ अध्यक्ष के समक्ष अपील।

फेरीवाला का ब्यौरा

तिथि

नाम-	
पता-	
विक्रय का स्थान-	
विक्रय की प्रकृति-	
रजिस्ट्रेशन संख्या-	
रजिस्ट्रेशन की तिथि-	

शिकायत का ब्यौरा:-

शिकायत का विषय	क. फुटपाथ विक्रय प्रमाण-पत्र का निर्गत होना
(सुसंगत कोष्ठ में निशान लगाएँ)	ख. फुटपाथ विक्रय प्रमाण-पत्र का निलम्बन या रद्द किया जाना।
शिकायत का संक्षिप्त विवरण (रजिस्ट्रेशन प्रमाण-पत्र/रद्द किए जाने की नोटिस की प्रति संलग्न करें)	

शिकायत प्राप्ति की तिथि .....

शिकायत प्राप्तकर्ता .....

अभिस्वीकृति संख्या .....

प्रपत्र - ख  
(नियम-13 (1))

अधिनियम की धारा 20 के अधीन शिकायत निवारण समिति के समक्ष अपील-  
फेरीवाला का ब्यौरा तिथि

नाम-	
जन्मतिथि/आयु-	
पता-	
विक्रय का स्थान-	
विक्रय की प्रकृति-	
रजिस्ट्रेशन संख्या-	
रजिस्ट्रेशन तिथि-	

शिकायत का ब्यौरा

शिकायत का संक्षिप्त विवरण (रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र की प्रति संलग्न करें)	
---	--

शिकायत प्राप्ति की तिथि .....

शिकायत प्राप्तकर्ता .....

अभिस्वीकृति संख्या .....

प्रपत्र - ग

(नियम-15 (1))

अधिनियम की धारा 20 के अधीन शिकायत निवारण समिति के आदेश / निर्णय के आलोक में  
महापौर/ अध्यक्ष के समक्ष अपील

फेरीवाला का ब्यौरा

तिथि

नाम-	
जन्मतिथि/आयु-	
पता-	
विक्रय का स्थान-	
विक्रय की प्रकृति-	
रजिस्ट्रेशन संख्या-	
रजिस्ट्रेशन तिथि-	

शिकायत का ब्यौरा

शिकायत का संक्षिप्त विवरण (रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र की प्रति संलग्न करें)	
---	--

शिकायत निवारण समिति द्वारा लिए गए विनिश्चय का ब्यौरा (विनिश्चय की प्रति संलग्न करें)	
---	--

शिकायत प्राप्ति की तिथि

.....

शिकायत प्राप्तकर्ता

.....

अभिस्वीकृति संख्या

.....